# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जगमोहन सिंह, RAS
अपील संख्या : 44 / 2014(2014 / 00001) प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक : 18 / 12 / 2014

1. श्री भैरूलाल पिता चन्दा जी जाति माली
2. श्री गोपाल पिता चन्दा जाति माली
3. श्री लक्ष्मण पिता चन्दा चन्दा जाति माली
4. श्रीमती गंगाबाई पत्नी चन्दा जाति माली निवासीयान छोटी सादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....**अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा छोटीसादडी जरिये मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, छोटी सादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....**रेस्पोडेण्ट्स**

उपस्थितः–

1. श्री नरेश जणवा : अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री नितिन माथुर : अधिवक्ता रेस्पो.स. 1
3. श्री शरद दशोरा : अधिवक्ता रेस्पो.सं. 1
4. राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेन्ट सं. 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 10–4–2014 उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी**

## निर्णय

दिनांक : 19 / 12 / 2018

अपीलान्ट्स द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी के निर्णय दिनांक 10–4–2014 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से मौजा छोटी सादडी तहसील छोटीसादडी के खाता संख्या 542 एवं 543 कुल किता 11 रकबा 3.

21 हेक्टर भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं 3, 4 ने दो अलग अलग कृषि ऋण 2,40,000/–रूपये प्रत्येक के दिनांक 18–11–2013 को प्राप्त किये एवं दिनांक 21–1–2014 को सम्पूर्ण ऋण राशि भुगतान कर अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया, जो विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया। तदोपरान्त विपक्षी संख्या 1 ने पुनः एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादडी में पेश कर बैंक मैनेजर द्वारा गलती से लक्ष्मण एवं गंगाबाई के खातें में नो ड्यूज जारी कर दिया है जबकि दोनो के संयुक्त खातेदारी मे ऋण की राशि 2,40,000/–रूपये बकाया है, अतः पुनः रहन की प्रविष्टि दर्ज करायी जानी का आदेश प्रदान कराया जावे। उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 9.4.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर बिना किसी जांच पडताल के एवं बिना विपक्षी को सूचना किए धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम बैंक का रहन दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, उक्त कार्यवाही से असंतुष्ट होने के कारण बाद जानकारी अपील पेश की गई। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–4–2014 न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होना, 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कोई प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि जो देखने से ही स्पष्ट हो साथ ही विपक्षी स्वंय स्वीकार करता हो, आते है। किन्तु यह प्रकरण प्रत्यक्षदर्शी की त्रुटि ही है न ही गणितीय भूल है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं माने जा सकते। प्रकरण राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत छोटी सादडी में विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 9.4.2014 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा एकतरफा में आदेश पारित ''प्रकरण दर्ज करे एवं तुरन्त हिस्सा रहन दर्ज करें'' किया गया। अपीलान्ट को नोटिस भी जारी नहीं किये गये, जबकि लोक अदालत मे केवल दोनो पक्षकरों के मध्य राजीनामे के अनुसार निस्तारण होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदेय प्रमाण–पत्र को गलत मानकर पुनः रहन दर्ज करने की कार्यवाही किया जाना कहीं पर भी उल्लेखित नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 की ओर से उपस्थित हुये।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील मे दर्ज तथ्यों का दोहराव करते हुए अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का निरस्त करने हेतु निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 9–7–2017 को प्रस्तुत लिखित बहस का दोहराव करते हुए अपील अपीलान्ट निरस्त करने हेतु निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की लिखित बहस में राजस्व ग्राम छोटी सादडी तहसील छोटी सादडी जिला प्रतापगढ़ के खाता संख्या 507–508 जो कि भैरूलाल, गोपाल, लक्ष्मण पिता स्व. श्री चन्दा माली व श्रीमती गंगाबाई बेवा स्व. श्री चन्दा माली के स्वामित्व व खातेदारी मे जमाबंदी में दर्ज है। उक्त दोनो खातो

की कृषि भूमि को उपरोक्त श्री भैरूलाल वगैराह द्वारा दो अलग–अलग कृषि ऋण 2,40,000/– बैंक से लिये गये। श्री भैरूलाल एवं गोपल पिता स्व. श्री चछा माली द्वारा एक ऋण खाता संख्या 61074279662 व लक्ष्मण व श्रीमती गंगाबाई द्वारा दूसरा ऋण रूपये 2,40,000 का प्राप्त किया गया जिसका ऋण खाता संख्या 61074280044 है। उक्त दोनो ही ऋणों की सिक्यूरिटी में नियमानुसार उक्त चारों ही खातेदारों के उपरोक्त दोनो ही खातों की जमाबंदी में बैंक का चार्ज रजिस्टर्ड किया जाकर बैंक का चार्ज रेस्पोडेंट बैक के पत्र के आधार पर दर्ज कर दोनो ही ऋण उक्त खातों की ऋण भूमि पर रहन रख प्राप्त किये गये। अपीलान्ट्स द्वारा बैंक ऋण का भुगतान समय पर नहीं करने पर बैंक की ओर से रोडा एक्ट के तहत इनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की गई, जिस पर श्री भेरूलाल एवं गोपाल पिता स्व. श्री चन्दा माली द्वारा उनसे संबंधित ऋण खाता संख्या 61074279662 को बकाया ऋण राशि जमा करवा कर ऋण खाता बंद करवाया गया, जिनके द्वारा नो–ड्यूज मांगने पर बैंक अधिकारी द्वारा मानवीय भूल से ''नो ड्यूज'' प्रमाण–पत्र के अंतर्गत जमाबंदी में अंकितानुसार उपरोक्त चारों ही अपीलान्ट के नाम जमाबंदी में अंकित कर दिये गये जबकि श्री लक्ष्मण पिता श्री चन्दा माली एवं श्रीमती गंगाबाई पत्नी श्री चन्दा माली का ऋण खातों (61074280044 व 610742808520 में) राशि बकाया चल रही थी तथा वसूली की कार्यवाही जारी थी। त्रुटिवश जारी अदेय प्रमाण–पत्र के आधार पर दिनांक 5.3.2014 को उक्त सम्पूर्ण जमाबंदी में सभी अपीलान्ट के सम्पूर्ण हिस्सों को रहन मुक्त कर दिया गया, जिसकी जानकारी होते ही बैंक अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी छोटी सादडी के समक्ष राष्ट्रीय मेघा लोक अदालत में प्रार्थना–पत्र दिनांक 7.4.2014 को प्रस्तुत किया गया, इसके साथ राशि बकाया होने का प्रमाण भी जमाबंदी की नकलों के साथ पेश कर पर उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादडी द्वारा श्री लक्ष्मण पिता श्री चन्दा माली एवं श्रीमती गंगाबाई पत्नी श्री चन्दा माली के हिस्से की खाता संख्या 542 व 543 की कृषि भूमि पर जमाबंदी में पुनः रहन दर्ज किया गया। ऋण राशि के जमा होने के प्रमाण स्वरूप ऋण खातों के स्टेटमेंट प्रस्तुत किये है जिसमें खाता संख्या 61074280044 में दिनांक 31.12.2014 तक 307294/– रूपये व खाता संख्या 61074280850 में दिनांक 31.12.2014 तक 57572/– बकाया थे जिस पर आगे का ब्याज नियमानुसार देय हैं। अपीलान्ट्स द्वारा बैंक अधिकारी की मानवीय त्रृटि से लाभ लेने की नियत है। अपीलान्ट संख्या 3 व 4 के उपरोक्त दोनो ऋण खातों से संबंधित बकाया राशि जमा करवाने की जमापर्ची प्रस्तुत कर अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। पारित आदेश से रहन दर्ज करने मात्र से अपीलान्ट के स्वामित्व व खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है जबकि आदेश निरस्त किये जाने से अपीलान्ट्स द्वारा ऋण राशि हडपने एवं कृषि भूमि को खुर्द किया जाना है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्षों के योग्य अभिभाषकगणों की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत हुए न्यायिक निर्णयों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का ससम्मान पठन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 10/4/2014 जो कि राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत छोटीसादडी में पारित किया गया जिसमें 136 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत मुकदमा नम्बर 13/2014 में पारित किया गया है। प्रकरण में मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा छोटी सादडी के प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मोजा छोटी सादडी के खाता संख्या 542 में वर्णित भूमि में श्री लक्ष्मण पिता चंदा का हक हिस्सा तथा खाता संख्या 543 मौजा छोटी सादडी मे वर्णित भूमि में श्री लक्ष्मण पिता चंदा, गंगाबाई पत्नी चन्दा का हक हिस्सा भूमि एस.बी.बी.जे. शाखा छोटी सादडी के नाम रहन इन्द्राज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इसी अनुसार भूमि राजस्व अभिलेख में इन्द्राज की जावे, का निर्णय पारित किया गया।

हमने प्रस्तुत अपील, उभपपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया, प्रस्तुत तथ्यों तथा सम्पूर्ण प्रकरण पर समग्रता में विचार एवं गहन चिन्तन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत छोटी सादडी में पारित आदेश दिनांक 10.04.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मूल रूप से 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों से विपरीत तथा लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निर्णय किया जाता है किन्तु प्रकरण में एकतरफा आदेश पारित किये गये है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में रहन राशि का उल्लेख जमाबंदी में पुनः अंकित कराये जाने हेतु 136 एल.आर.एक्ट के माध्यम से शुद्धि के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में विधि संगत कार्यवाही किया जाना आवश्यक समझा जाता है। अपीलान्ट संख्या 3 व 4 द्वारा अबाकियात प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर रहन हटवाना चाहिये, जिस हेतु बकाया राशि जमा करवाने की जमापर्ची प्रस्तुत कर अपना पक्ष साबित करना चाहिए था, जिसमें वे पूर्णरूप से असफल रहे है, जिससे भूमि को खुर्दबुर्द तथा बैंक ऋण राशि जमा नहीं होना संभावित है।

अत अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–4–2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह बैंक ऋण राशि का इन्द्राज जमाबंदी में नियमानुसार पूर्ण जांच कर सभी पक्षों को सुनकर निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगमोहन सिंह)
**अति. संभागीय आयुक्त,**
**उदयपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official